आ.वि.प्रा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक : 1466/बी.एफ.एल./03/04.05 दिनांक : 25/3/11.......

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता (भवन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री विनोद गांधी पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप
ब्न0-106, पुनीत वृन्दावन,
संजय प्लेस आगरा।

विषय : मंगलम निकेत भूखण्ड सं0-आर-01, सै0-डी, शास्त्रीपुरम, आगरा पर प्रस्तुत ग्रुप हाउस मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित किया जाता है कि उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दि. 24.03.2011 के अन्तर्गत सन्दर्भित औपचारिकताओं की पूर्ति की दशा में आप द्वारा प्रस्तुत ग्रुप हाउस मानचित्र स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। अतः आप 15 दिन में निम्न औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुए वांछित धनराशि जमा करा दें :-

1. निरीक्षण शुल्क रू. 3,79,034.00
2. मलवा शुल्क रू. 6,27,366.00
3. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की एनओसी प्रस्तुत करनी होगी।
4. लैण्डफिल साइट तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित धनराशि जमा करानी होगी, जिसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
5. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं आवश्यक वृक्षारोपण का प्राविधान स्थल पर करना होगा तथा आवेदक को भवन की छत पर सोलर वाटर हीटर सयन्त्र की स्थापना करनी होगी।
6. कूड़ादान हेतु मूवेबिल कन्टेनर की व्यवस्था करनी होगी।
7. वैकल्पिक सौर ऊर्जा संयंत्र का प्राविधान करना होगा।
8. आवेदक को खरीदी गयी भूमि को दाखिल-खारिज कराकर मानचित्र निर्गत करने से पूर्व अद्यावधिक खतौनी की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
9. शासन द्वारा भूकम्प रोधी निर्माण के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे :-

   अ) पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में आर्कीटेक्ट, इन्जीनियर एवं आवेदक के स्पष्ट हस्ताक्षर, पता, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

   ब) प्रस्तावित भवन का स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं गणनायें देनी होंगी।

   स) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तावित निर्माण का पर्यवेक्षण अर्ह इन्जीनियर से प्रस्तुत की गयी डिजाइन/ड्राइंग के अनुरूप करना होगा।

भवदीय

25/3/11

सहायक अभियन्ता (भवन)